लोकहितार्थ सत्यनिष्ठा
Dedicated to Truth in Public Interest

सत्यमेव जयते

लोकहितार्थ सत्यनिष्ठा
Dedicated to Truth in Public Interest

सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005

सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 समस्त भारतवर्ष में लागू होता है। प्रत्येक नागरिक को यह अधिकार है कि वह सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 की धारा 2 से 30 के अंतर्गत लोक प्राधिकारी, राज्य सूचना आयोग तथा केन्द्रीय सूचना आयोग से सूचना प्राप्त कर सकता है। यहाँ दी गई सूचना कार्यालय प्रधान महालेखाकार (लेखापारीक्षा), उत्तराखंड, देहरादून जो कि "महालेखाकार भवन, कौलागढ़, देहरादून – 248195" में स्थित है, से सम्बन्धित है। यह कार्यालय, भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक के कार्यालय जो कि 9, दीन दयाल उपाध्याय मार्ग, नई दिल्ली – 110124 में स्थित है, का क्षेत्रीय कार्यालय है। मुख्यालय से संबन्धित, सूचना का अधिकार अधिनियम संबंधी सूचना https://cag.gov.in/content/right-information-act पर उपलब्ध है ।
सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 के अंतर्गत सूचना उपलब्ध कराने हेतु प्रधान महालेखाकार महोदय द्वारा उपमहालेखाकार/ प्रशासन को इस कार्यालय का केन्द्रीय लोक सूचना अधिकारी नामित किया गया है। इस अधिनियम के अंतर्गत सूचना प्राप्त करने हेतु अधिमान्य प्रार्थना पत्र, निर्धारित शुल्क ₹ 10/- नकद या डिमाण्ड ड्राफ्ट या बैंकर्स चैक या भारतीय पोस्टल आर्डर सहित कार्यालय में प्रस्तुत किया जाए। डिमाण्ड ड्राफ्ट, बैंकर्स चैक या भारतीय पोस्टल आर्डर वेतन एवं लेखाधिकारी, कार्यालय महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) उत्तराखण्ड, देहरादून के पक्ष में होना चाहिए।

कृपया अधिक जानकारी के लिए सम्पर्क करें-

क्रम संख्या	नाम	पदनाम	सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के अंतर्गत पदनाम	पता एवं फोन नं.
1.	श्री विशाल कुमार गुप्त	सहायक लेखापरीक्षा अधिकारी/ गोपनीय प्रकोष्ठ	केन्द्रीय सहायक लोक सूचना अधिकारी	महालेखाकार भवन, कौलागढ़, देहरादून 0135-2970873
2.	श्री योगेश अग्रवाल	उपमहालेखाकार / प्रशासन	केन्द्रीय लोक सूचना अधिकारी	महालेखाकार भवन, कौलागढ़, देहरादून 0135-2970873
3.	श्री एस. आलोक	प्रधान महालेखाकार (लेखापरीक्षा)	प्रथम अपीलीय अधिकारी	महालेखाकार भवन, कौलागढ़, देहरादून 0135-2970870

आदेशानुसार

प्रधान महालेखाकार(लेखापरीक्षा), उत्तराखण्ड